राष्ट्रीय लोक अदालत

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज मुकदमा नम्बर – 21/2022 शमीम अहमद बनाम राजस्थान सरकार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.05.2022	पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत में नियत होने से आज पेश हुई। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं रिपोर्ट तहसीलदार झुन्झुनू का अवलोकन किया गया। तहसीलदार झुन्झुनू ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि मजमे आम में पूछताछ करने पर बताया गया कि सलीम अहमद पुत्र अनवर व शमीम अहमद पुत्र अनवर दोनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं। प्रार्थी के अन्य दस्तावेजातों में शमीम अहमद पुत्र अनवर दर्ज है जो कि सही है। अतः प्रार्थी का नाम सलीम अहमद के स्थान पर शमीम अहमद पुत्र अनवर शुद्ध किया जाना उचित है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं रिपोर्ट तहसीलदार के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि ग्राम बाडलवास तहत तहसील झुन्झुनू की जमाबंदी सम्वत 2074–77 के खाता संख्या 135 में आवेदक का नाम सलीम अहमद पुत्र अनवर के स्थान पर शमीम अहमद पुत्र अनवर शुद्ध किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट स्वीकार किया जाना उचित है अतः **आदेश** प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट स्वीकार किया जाकर ग्राम बाडलवास तहत तहसील झुन्झुनू की जमाबंदी सम्वत 2074–77 के खाता संख्या 135 में आवेदक का नाम सलीम अहमद पुत्र अनवर के स्थान पर शमीम अहमद पुत्र अनवर किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। तहसीलदार झुन्झुनू को आदेशित किया जाता है कि वह उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर पालना करें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। पत्रावली फैशल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 14.05.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनाया गया। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्र. 2, झुंझुनूं (राज.) 14.05.2022	